



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
पीठासीन अधिकारी – जसमीत सिंह संघू (आई.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 72/2017

श्रीमती राजकुमारी तंवर वयस्क पत्नि श्री सुरेन्द्र तंवर जाति माली निवासी तंवर
सदन, छावनी रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

अब वादिया के स्थान पर प्रतिस्थापित –

श्री मयंकसिंह शेखावत वयस्क पुत्र श्री महेन्द्रसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी
प्यारेलाल की बगीची के सामने, जमालपुरा, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब नाम

- 1- श्रीमति मूमी वयस्क पत्नि स्व. श्री बिरदा
- 2- श्री इब्राहिम वयस्क पुत्र श्री प्रेमा जी
- 3- रोशनी वयस्क पुत्री श्री प्रेमा जी
- 4- श्रीमति सूरमा वयस्क पत्नि स्व. श्री प्रेमा
समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम नाका का बाड़िया रामावास तहसील
ब्यावर जिला अजमेर
- 5- श्री इरफान पुत्र स्व. श्री भीमा
- 6- सोनिया पुत्री स्व. श्री भीमा
- 7- श्रीमती जमीला वयस्क पत्नि स्व. श्री भीमा
समस्त जाति मेहरात निवासियान नाका का बाड़िया ग्राम रामावास तहसील
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 8- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)

-----प्रतिवादीगण


**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू
राजस्व अधिनियम**

अंतिम निर्णय

दिनांक 15-07-2019

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 24-05-2018 को विभाजन की अंतरिम
निर्णय/प्रारंभिक डिक्री पारित कर आदेश दिया गया कि – " वाद वादिया विरुद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया
जाता है तथा ग्राम रामावास पटवार हल्का दुर्गावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
फतहपुरिया दायम की जमाबन्दी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 227 में अंकित
खसरा संख्या 1004 रकबा 00-15-00, 1414 रकबा 00-14-00, 1447 रकबा
01-02-00, 1448 रकबा 01-02-10, 1449 रकबा 02-15-10, 1450 रकबा
04-02-10, 1451 रकबा 01-18-00, 1452 रकबा 03-17-00, 1454 रकबा
03-04-00 में से वादिया के 1/6 हिस्से व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के
हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जावे, इस
जमाबन्दी में शेष रहे खसरान् यथावत् रखे जावें। मौके पर यदि पक्षकारान के मध्य
विवादित भूमियों बाबत् बाहमी बंटवारा हो रखा हो तो यथासंभव उनके हिस्से अनुसार
बाहमी बंटवारे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। वादिया एवं प्रतिवादीगण
संख्या 1 लगायत 7 के उक्त खसरान् में अंकित हिस्से अनुसार पृथक पृथक खाते एवं
कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा नक्शा ट्रेस में अलग
अलग रंग से दर्शित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा किसी पक्षकार द्वारा
स्वयं के हिस्से को बेचान करने की स्थिति में क्रेता का नाम अंकित करते हुए तथा
किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारीसान की जांच कर
वारीसान के नाम अंकित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश
तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते हैं, कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तथा
प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता
है, कि तब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक बेचान हस्तांतरण
संबंधी कार्यवाही नहीं करे तथा वादी के कब्जे में बाधा उत्पन्न नहीं करे। खर्चा
पक्षकारान अपना अपना वहन करे।"

.....लगातार


(जसमीतसिंह संघू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर



तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/5097 दिनांक 08.10.2018 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने बंटवारा प्रस्ताव पर बहस में कथन किए कि यथाप्रस्ताव बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा दोनों पक्ष सहमत हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम रामावास पटवार हल्का दुर्गावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतहपुरिया दोगम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	मयंकसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह शेखावत कौम राजपूत निवासी प्यारेलाल की बगीची के सामने जमालपुरा सेन्दड़ा रोड ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है।	1454	03-04-00	बा.2	
	योग	01	03-04-00		
2	मूमी पत्नि बिरदा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।	1414 1449 1452/2	00-14-00 02-15-10 01-05-00	बा.3 बा.2 बा.2	
	योग	03	04-14-10		
3	जमीला पत्नि स्व. भीमा इरफान पुत्र भीमा सोनिया पुत्री भीमा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है।	1004 1447 1448 1450/1 1452/3	00-15-00 01-02-00 01-02-10 01-12-10 01-06-00	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2	
	योग	05	05-18-00		
4	इब्राहिम वल्द प्रेमा रोशनी पुत्री प्रेमा सुरमा पत्नि स्व. प्रेमा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।	1450/2 1451 1452/1	02-10-00 01-18-00 01-06-00	बा.2 बा.2 बा.2	
	योग	03	05-14-00		

यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपने-अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जसवीर सिंह सांठू)
(जसवीर सिंह सांठू)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संघु आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 72/2017

श्रीमती राजकुमारी तंवर वयस्क पत्नि श्री सुरेन्द्र तंवर जाति माली निवासी तंवर
सदन, छावनी रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

अब वादिया के स्थान पर प्रतिस्थापित -

श्री मयंकसिंह शेखावत वयस्क पुत्र श्री महेन्द्रसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी
प्यारेलाल की बगीची के सामने, जमालपुरा, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब नाम

- 1- श्रीमति मूमी वयस्क पत्नि स्व. श्री बिरदा
- 2- श्री इब्राहिम वयस्क पुत्र श्री प्रेमा जी
- 3- रोशनी वयस्क पुत्री श्री प्रेमा जी
- 4- श्रीमति सूरमा वयस्क पत्नि स्व. श्री प्रेमा
समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम नाका का बाड़िया रामावास तहसील
ब्यावर जिला अजमेर
- 5- श्री इरफान पुत्र स्व. श्री भीमा
- 6- सोनिया पुत्री स्व. श्री भीमा
- 7- श्रीमती जमीला वयस्क पत्नि स्व. श्री भीमा
समस्त जाति मेहरात निवासियान नाका का बाड़िया ग्राम रामावास तहसील
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 8- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू
राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन
मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि, यथाप्रस्ताव
बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में
ग्राम रामावास पटवार हल्का दुर्गावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतहपुरिया दोयम,
तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव
अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	मयंकसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह शेखावत कौम राजपूत निवासी प्यारेलाल की बगीची के सामने जमालपुरा सेन्दड़ा रोड़ ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है।	1454	03-04-00	बा.2	
	योग	01	03-04-00		
2	मूमी पत्नि बिरदा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।	1414 1449 1452/2	00-14-00 02-15-10 01-05-00	बा.3 बा.2 बा.2	
	योग	03	04-14-10		

.....लगातार

(जसमीतसिंह संघु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	लगान
3	जमीला पत्नि स्व. भीमा इरफान पुत्र भीमा सोनिया पुत्री भीमा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है।	1004 1447 1448 1450/1 1452/3	00-15-00 01-02-00 01-02-10 01-12-10 01-06-00	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2	
	योग	05	05-18-00		
4	इब्राहिम वल्द प्रेमा रोशनी पुत्री प्रेमा सुरमा पत्नि स्व. प्रेमा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।	1450/2 1451 1452/1	02-10-00 01-18-00 01-06-00	बा.2 बा.2 बा.2	
	योग	03	05-14-00		

यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपने-अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निजी.....मुबलिक.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरहफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें।

बहस्व मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15-07-2019 को जारी किया गया।



(जसमीत सिंह संधू)
अध्यक्ष (सिंह संधू)
उपखण्ड अधीक्षक एवं सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	



(जसमीत सिंह संधू)
अध्यक्ष (सिंह संधू)
उपखण्ड अधीक्षक एवं सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, ब्यावर

